an>

Title: Need to ensure active participation of Members of Parliament in planning, execution and monitoring of Centrally sponsored development schemes in the State.

श्रीमती रमा देवी **(**शिवहर**):** आज देश में केन्द्र प्रायोजित योजनाआं की संख्या 66 है और केन्द्र सरकार अपने बजट में इनके लिए ढाई लाख करोड़ रूपये से अधिक आवंटन करती है। केन्द्र सरकार के कुल योजनागत बजट का 44 प्रतिशत इन्हीं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से खर्च होता है। फिलहाल केन्द्र सरकार के 33 मंत्रालय और विभाग केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश तैयार करते हैं जबकि इनका क्रियान्वयन राज्यों में होता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना से पहले केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 147 थी परंतु अब इनकी संख्या घटाकर 66 कर दी गई है। राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता देने के नाम पर सांसदों के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। आज व्यवहारिक रूप से राज्य सरकारों की नजर में वास्तविक रूप से सांसदों की कोई अहमियत नहीं है। जन-समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से जन-प्रतिनिधियों विशेषकर सांसदों की होती है क्योंकि आम जनता को अपने सांसद को सम्पर्क करना ज्यादा आसान होता है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर अगर केन्द्र प्रायोजित 66 योजनाओं में स्थानीय सांसद को योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण के कार्य से जोड़ा जाता है तो इसका अच्छा परिणाम होगा। इसके लिए केन्द्र सरकार को खासकर प्रधानमंत्री कार्यालय को विशेष रूचि लेकर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में सांसदों के अहम रोल का प्रावधान कानूनी रूप से होना चाहिए। अर्थात् योजनाओं को चयनित करते समय सांसदों के द्वारा उन योजनाओं का अनुमोदन जरूरी कर देना चाहिए। ऐसा करने से राज्य सरकार के जो अधिकारी योजनाओं में गोलमाल करते हैं, उस पर लगाम लगेगा और यह देश हित एवं व्यापक जनहित में होगा। सांसदों को खोई प्रतिष्ठा वापस मिलेगी और संसदीय प्रजातंत्र मजबूत होगा।

अतः मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के चयन से लेकर क्रियान्वयन तक में स्थानीय सांसद के द्वारा समीक्षा एवं अनुश्रवण कानूनी रूप से जरूरी कर दिया जाए।